न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :—स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :—001/2023

1 विनोद कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — प्रार्थी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सुशील कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. प्रमोद कुमार पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

उपस्थित अभिभाषकगण:—

1. श्री परमजीत सिंह अधिवक्ता — —प्रार्थी
2. श्री बग्गासिंह अधिवक्ता — —अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.) टिब्बी

निर्णय

दिनांक :—12.2.2024

प्रार्थीगण विनोद कुमार ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में पेश किया है कि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 120/101 में पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 2, 3, 4 कुल 0.759 हैक्टर नहरी आराजी प्रार्थी विनोद कुमार व अप्रार्थी संख्या 3 प्रमोद कुमार के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना—पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

चक नम्बर 2 डी.पी.एम.के जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 92/79 में पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल 0.253 हैक्टर आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 राजकुमार व अप्रार्थी संख्या 2 सुशील कुमार के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना—पत्र है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5 में चल रहे पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृतशुदा रास्ता से किला नम्बर 5 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में होकर अपनी भूमि किला नम्बर 4 में प्रवेश करते चले आ रहे है व अपनी आराजी को काश्त करते चले आ रहे है उक्त रास्ता अर्सा कदीम से चालु है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नही है जिस कारण से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 को अनेकों परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5 मे पूर्व दिशा से उतर से दक्षिण स्वीकृतशुदा चल रहे रास्ते से किला नम्बर 5/1/0.228 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.019 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 उक्त रास्ता में आई भूमि के बदले में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को अप्रार्थीगण के चिपती भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम.के पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 4 में पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण 0.019 हैक्टर आराजी देने के लिए तैयार है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थीगण को आज से एक सप्ताह पूर्व उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना–पत्र है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिहरी

अप्रार्थी संख्या 3 के हित प्रार्थी के समान है तथा अप्रार्थी संख्या 3 आज हाजिर अदालत नही होने के कारण बतौर अप्रार्थी संख्या 3 पक्षकार बनाया गया है, वह चाहे तो प्रार्थी बन सकता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिहरी

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5 मे पूर्व दिशा से उतर से दक्षिण स्वीकृतशुदा चल रहे रास्ते से किला नम्बर 5/1/0.228 के दक्षिण [illegible] 0.019 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गै[illegible] जाकर अप्रार्थीगण के चिपती भूमि चक नम्बर 2 [illegible] 120/101 में पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 4 में पूर्वी दिशा में [illegible]र से दक्षिण 0.019 हैक्टर आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डी.पी.एम. के खाता संख्या 120/101 में से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा ब0हि0ब0 कम किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र पेश होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र की दफाओं को स्वीकार करते हुए अपना सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 120/101 में पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 2, 3, 4 कुल 0.759 हैक्टर नहरी आराजी प्रार्थी विनोद कुमार व अप्रार्थी संख्या 3 प्रमोद कुमार व इसी चक के खाता संख्या 92/79 में पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता कुल 0.253 हैक्टर हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 तथा हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5 में चल रहे पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृतशुदा रास्ता से किला नम्बर 5 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम में होकर अपनी भूमि किला नम्बर 4 में प्रवेश करते चले आ रहे है व अपनी आराजी को काश्त करते चले आ रहे है उक्त रास्ता अर्सा कदीम से चालु है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नही है।

अतः हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5 मे पूर्व दिशा से उतर से दक्षिण स्वीकृतशुदा चल रहे रास्ते से किला नम्बर 5/1/0.228 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.019 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी की चिपती भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम.के खाता संख्या 120/101 में पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 4 में पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण 0.019 हैक्टर आराजी हम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के खाता संख्या 120/101 मे से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा ब0हि0ब0 कम किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में [illegible] हो गया है व हम अप्रार्थीगण इससे पूर्णतया सहमत हैं। त[illegible] प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

Scanned with CamScanner

शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, व तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के जबाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 5 मे पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण स्वीकृतशुदा चल रहे रास्ते से किला नम्बर 5/1/0.228 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.019 हैक्टर चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 की विपती भूमि चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के खाता संख्या 120/101 में पत्थर नम्बर 192/234(7) किला नम्बर 4 में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.019 हैक्टर आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम ब0हि0ब0 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 2 डी.पी.एम. के खाता संख्या 120/101 मे से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा ब0हि0ब0 कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner